सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

कार्यरत श्रमिक शक्ति

1272. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1997 के अंत में देश में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या 397 मिलियन थी, जिसमें से 237 मिलियन श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में अनुमान क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में खेतिहर मजदूर असंगठित होने के कारण अपनी कड़ी मेहनत के एवज में पूरा पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में विभिन्न राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी-कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, उन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जो 1.1.1994 के अनुसार कार्यरत थे, 332 मिलियन थी जिसमें से 207.83 मिलियन व्यक्तियों के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में होने का अनुमान है। बाद की अवधि के आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, राज्य सरकारें कृषि में नियोजन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम के अधीन गठित, विभिन्न समुचित सरकारों के प्रवर्तन तन्त्र खेतिहर मजदूरों को उचित मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल श्रेणी के खेतिहर मजदूरों के मजदूरी की न्यूनतम दर के बारे में उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिये)**

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि कर्मकारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

(1.4.98 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.00 रु० से 36.50 रु० प्र० दि० (क्षेत्रों के अनुसार) (12.2.96)
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु० से 23.00 रु० प्र० दि० (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.90)
3.	असम	1134.00 रु० प्रतिमाह "या 984.00 रु० प्रतिमाह जमा भोजन आवास और कपड़े (1.8.89)
4.	बिहार	27.30 रुपये प्रतिदिन (21.12.95)
5.	गोवा	40.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
6.	गुजरात	34.00 रु० प्रतिदिन (1.4.96)
7.	हरियाणा	60.12 रु० प्रतिदिन" भोजन सहित या 64.12 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.1.98)

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	45.75 रु० प्रतिदिन (1.3.96)
9.	जम्मू और कश्मीर	30.00 रु० प्रतिदिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	26.00 रु० प्रतिदिन (28.4.94)
11.	केरल	30.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए 40.20 रु० प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	38.50 रु० प्रतिदिन (1.4.96)
13.	महाराष्ट्र	20.00 से 29.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47.65 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 44.65 रु० प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा (8.7.95)
15.	मेघालय	35.00 रु० प्रतिदिन
16.	मिजोरम	45.00 रु० प्रतिदिन (10.7.97)
17.	नागालैण्ड	25.00 रु० प्रतिदिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	30.00 रु० प्रतिदिन (15.8.96)
19.	पंजाब	54.07 रु० प्रतिदिन "भोजन सहित 60.62 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (1.7.95)
20.	राजस्थान	44.00 रु० प्रतिदिन (19.11.97)
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	29.00 रु० प्रतिदिन (10.3.97)
23.	त्रिपुरा	32.00 रु० प्रतिदिन (4.12.96)
24.	उत्तर प्रदेश	47.00 रु० से 49.00 रु० प्र०दि० (31.10.96)
25.	पश्चिम बंगाल	45.22 रु० प्रतिदिन "वयस्कों के लिए 34.06 रु० प्रतिदिन बच्चों के लिए (13.8.82)
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	37.00 रु० प्रतिदिन (अण्डमान) 40.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार) (15.8.94)
27.	चण्डीगढ़	52.09 रु० प्रतिदिन "भोजन सहित या 60.15 रु० प्रतिदिन बिना भोजन (4.11.95)
28.	दादरा व नगर हवेली	40.00 रु० प्रतिदिन (18.5.95)
29.	दिल्ली	74.50 रु० प्रतिदिन" (1.2.94)
30.	दमन व द्वीव	35.00 रु० प्रतिदिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप	30.00 रु० प्रतिदिन (1.1.93)

1	2	3
32.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र	30.00 रु० प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए
		40.20 रु० प्रतिदिन भारी कार्य के लिए (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र	19.25 रु० से 26.25 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
	(iv) कराईकल	20.00 रु० से 22.00 रु० प्रतिदिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र	64.04 रु० से 71.04 रु० प्रतिदिन" (12.7.94)

टिप्पणी: 1. न्यूनतम मजदूरी में, जहां कहीं प्रावधान हो, परिवर्ती महंगाई भत्ता भी शामिल है।
2. कोलम (3) में कोष्ठक में दर्शाई गयी तिथि मूल मजदूरी में पिछले संशोधन की तिथि है।
3. "मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

पुरूष और महिला श्रमिकों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर

1273. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष व महिला श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दरों में भारी अन्तर होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने "समान पारिश्रमिक अधिनियम" के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लंघन-कर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत किसी उल्लंघन का मामला जब कभी सरकार के समक्ष लाया जाता है या सरकार की जानकारी में आता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

Teachers in the Category of Workmen

1274. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to include the teachers in private schools in the category of workmen; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) The Supreme Court in the case of Ms A. Sundran Bal Vs. Government of Goa Daman and Diu held that although educational institution is an industry, a teacher working in an educational institution is not a workman under the I.D. Act. Supreme Court of India had directed that Government should take necessary steps to bring an appropriate legislation providing for adjudication of disputes between teachers and management of educational institutions. Subsequently, a sub-committee of the Consultative Committee of the Parliament attached to the Ministry of Labour headed by Shri Gurudas Das Gupta, M.P. studies the service conditions of teachers in private schools and recommended a comprehensive legislation for the teachers in private schools.

The recommendations of the Sub-Committee will be considered while formulating amendment proposals of the I.D. Act, 1947.